

अंचल कार्यालय, पाकुड़

(देखे अभिलेखहस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश : पत्रक : ता० ०७/५/१६ से १४/५/१६ तक
लगान निर्धारण वाद अभिलेख सं० ०३ / १६-१७
अंचल-पाकुड़ (सदर), जिला -पाकुड़

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
०७/५/१६	आवेदक- श्री सुर्य शेखर दुबे, पिता-स्व० रितेन्द्र मोहन दुबे, सा०-राजापाड़ा, पाकुड़ थाना-पाकुड़, जिला-पाकुड़ के द्वारा मौजा-पाकुड़, थाना संख्या-१२८, के खाता संख्या-५५३, के अंतर्गत खेसरा संख्या-६९५ एवं ६९७, रकवा क्रमशः-००बी०-०४क०-१७धु०, एवं ००बी०-०५क०-१५धू० अर्थात् कुल मिलाकर ००बी०-१०क०-१२धू० भूमि किस्म भूमि-उदवास्तु के लगान धार्य की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। अभ्यावेदन पर संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, पाकुड़ से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक १४/५/१६ को रखे। ०७-०५-१६ अंचल अधिकारी, पाकुड़। अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित। इन्होंने प्रतिवेदित किया है मौजा-पाकुड़, थाना संख्या-१२८, के खाता संख्या-५५३, के अंतर्गत खेसरा संख्या-६९५ एवं ६९७, रकवा क्रमशः-००बी०-०४क०-१७धु०, एवं ००बी०-०५क०-१५धू० अर्थात् कुल मिलाकर ००बी०-१०क०-१२धू० भूमि किस्म भूमि-“उदवास्तु” कहकर सर्वे खतियान में प्रथम नाथ दुबे, पिता-तारक नाथ दुबे, सा०-पाकुड़ के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत के वंशज आवेदक १. श्री सुर्य शेखर दुबे, के अलावे २. चन्द्र शेखर दुबे, ३. धनाक्षा चौधरी, ४. संन्तोना देवी, ५. अब्जा रानी देवी, एवं ६. सोनाली चौधरी, सभी के पिता-स्व० रितेन्द्र मोहन दुबे, सा०-राजापाड़ा, पाकुड़ का प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में दखल है। संबंधित भूमि बहुमोहतरदार है। खतियानी रैयत के उक्त वंशजों ने खतियानी हक के आधार पर संबंधित भूमि अपने नाम से अंतरन हेतु अनुरोध किया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा उक्त भूमि का आवेदक के पक्ष में लगान धार्य की स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र-M की तीन प्रतियों में प्रतिवेदन -सह- प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उपरोक्त भूमि का अनुशंसित लगान रुपये अलावे शेष प्रस्तावित है। अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होते हुए सुर्य शेखर दुबे, पिता-स्व० रितेन्द्र मोहन दुबे, सा०-राजापाड़ा, पाकुड़ थाना-पाकुड़, जिला-पाकुड़, के द्वारा मौजा-पाकुड़, थाना संख्या-१२८, के खाता संख्या-५५३, के अंतर्गत खेसरा संख्या-६९५ एवं ६९७, रकवा क्रमशः-००बी०-०४क०-१७धु०, एवं ००बी०-०५क०-१५धू० अर्थात् कुल मिलाकर ००बी०-१०क०-१२धू० भूमि किस्म भूमि-उदवास्तु के लगान धार्य की स्वीकृति हेतु संबंधित अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया जाता है। अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे। १४-०५-१६ अंचल अधिकारी, पाकुड़।	